गृह मंत्रालय मांग संख्या 55 पुडुचेरी को अंतरण

( ₹ करोड़)

	वास्	वास्तविक 2017-2018			ৰजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			<b>ਕ</b> ਤਟ 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कु	म 1428.6	9 72.00	1500.69	1476.00		1476.00	1476.00	49.61	1525.61	1544.99	0.01	1545.00	
वसूर्व	त्रेयां .												
प्रारि	ोयां .												
निव	ল <sub>1428.6</sub>	9 72.00	1500.69	1476.00		1476.00	1476.00	49.61	1525.61	1544.99	0.01	1545.00	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण													
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण													
<ol> <li>संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान</li> </ol>	10.0	0	10.00	5.00		5.00	5.00		5.00	5.00		5.00	
2. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	1418.6	9 72.00	1490.69	1470.99		1470.99	1470.99		1470.99	1539.98		1539.98	
<ol> <li>समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी</li> </ol>	-			0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01	
<ol> <li>जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी</li> </ol>	-							49.61	49.61		0.01	0.01	
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	1428.6	9 72.00	1500.69	1476.00		1476.00	1476.00	49.61	1525.61	1544.99	0.01	1545.00	
कुल जोड़	1428.6	9 72.00	1500.69	1476.00		1476.00	1476.00	49.61	1525.61	1544.99	0.01	1545.00	
ख. विकासात्मकशीर्ष													
अन्य													
<ol> <li>संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान</li> </ol>	1428.6	9	1428.69	1476.00	•••	1476.00	1476.00		1476.00	1544.99		1544.99	
<ol> <li>संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम</li> </ol>	-	72.00	72.00					49.61	49.61		0.01	0.01	
जोड़-अन्य	1428.6	9 72.00	1500.69	1476.00		1476.00	1476.00	49.61	1525.61	1544.99	0.01	1545.00	
कुल जोड़	1428.6	9 72.00	1500.69	1476.00		1476.00	1476.00	49.61	1525.61	1544.99	0.01	1545.00	

2. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान पुडुचेरी सरकार की स्कीमों के संसाधनों और वित्तपोषणों में अंतर को पाटने के लिए अनुदानों के लिए है।

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंशदान के लिए अनुदानों के लिए है।

समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी:

सं 55/पुडुचेरी को अंतरण

4. जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी: